तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भाकरराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 63 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.06..20	दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित होने से पत्रावली आज पेशी पर ली गई। संक्षित में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी भाकरराम पुत्र जोगाराम निवासी लूणी तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.01..20 में उसके द्वारा (1) पटवार मण्डल सालावास के राजस्व गांव सालावास के खसरा नम्बर 54 मय बट्टा संख्या सहित खसरा नम्बर 55 के मय बट्टा संख्या के तरमीम आदेश एवं लट्ठा ट्रेस की नियमानुसार प्रमाणित प्रतिं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	